(क) क्या सरकार ने 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के कारण जानमाल की हानि और अन्य चीजें जैसे घर, सड़क और फसल को हुई हानि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत स्कीम और प्रदान किये गये वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (ग): पूर्वोत्तर राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष, 2012 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलन की वजह से उनके प्रारम्भिक आकलन के आधार पर 131 व्यक्तियों की मृत्यु होने, 8897 जानवरों का नुकसान होने, 2.83 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित होने और 4.53 लाख मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2012 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलन की वजह से हुए नुकसान/क्षति के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।**

 **जहां तक सहायता का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, राज्य सरकारों को राज्य आपदा कार्रवाई निधि ( एस डी आर एफ), जो पहले से ही उनके निपटान पर रखी गई है, की समग्रनिधि (कारपस) में से प्राथमिक तौर पर राहत कार्रवाई शुरु करनी होती है। गम्भीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, जब एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त होते हैं तब निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यदि अनुमोदित मदों/मानदण्डों से इतर कोई अधिक और ऊपर अथवा अन्य व्यय होता है तो उसे राज्यों द्वारा अपने निजी संसाधनो से पूरा किया जाना होता है।**

 **चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से निधियों के आबंटन और रिलीज को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक-।। में दिया गया है।**

 **तथापि, असम राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन पर, वर्ष 2012 की बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों और इससे हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए 10 से 12 जुलाई, 2012 तक एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अन्तर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया है। इसे उच्च स्तरीय समिति के समक्ष शीघ्र ही होने वाली अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा हैं। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से अब तक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।**

 **इसी दौरान, भारत सरकार ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक स्वरुप के राहत उपाय शुरु करने के लिए असम सरकार को 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है।**

**---**

अनुलग्नक-I

दिनांक 29.08.12 का अ0प्र0सं0 1945

**वर्ष, 2012 के दौरान, अचानक बाढ़/बाढ़/भूस्खलन इत्यादि की वजह से हुए नुकसान/क्षति के व्यौरों को दर्शाने वाला विवरण**

अनंतिम (23.8.2012 की स्थिति)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.**  | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **मरने वाले व्यक्तियों की संख्या** | **मरने वाले जानवरों की संख्या** | **क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या** | **प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेअर)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 88 | 229 | 0.27 |
| 2 | असम | 128 | 6249 | 453000 | 2.55 |
| 3 | मणिपुर | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 4 | मेघालय | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 5 | मिजोरम | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 6 | नागालैण्ड | -- | 2560 | 849 | 0.073 |
| 7 | सिक्किम | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
| 8 | त्रिपुरा | एनआर | एनआर | एनआर | एनआर |
|  | **कुल** | **131** | **8897** | **4,53,229** | **2.89** |

एनआर = सूचित न किए गए.

.

\*\*\*\*\*

-4-

अनुलग्नक-II

दिनांक 29.08.2012 का रा.स.अ.प्र.सं. 1945

वर्ष 2012-13 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का आबंटन/रिलीज

*17.08.2012 की स्थिति*

(करोड़ रु.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य का नाम | एसडीआरएफ का आबंटन | एसडीआरएफ से रिलीज | एनडीआरएफ से रिलीज |
| केन्द्रीय अंश | राज्यांश | कुल | पहली किस्त | दूसरी किस्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 36.46 | 4.05 | 40.51 | 18.23 | -- | -- |
| 2. | असम | 261.73 | 29.08 | 290.81 | 255.495 @ | 199.50 | 45.00 # |
| 3. | मणिपुर | 7.16 | 0.80 | 7.96 | -- | -- | -- |
| 4. | मेघालय | 14.54 | 1.61 | 16.15 | -- | -- | -- |
| 5. | मिजोरम | 8.49 | 0.94 | 9.43 | -- | -- | -- |
| 6. | नागालैण्ड | 4.93 | 0.55 | 5.48 | 6.94 @ | -- | -- |
| 7. | सिक्किम | 22.57 | 2.51 | 25.08 | -- | 10.75 | 50.00 # |
| 8. | त्रिपुरा | 19.16 | 2.13 | 21.29 | -- | -- | -- |
|  | **कुल** | **375.04** | **41.67** | **416.71** | **280.665** | **210.25** | **95.00** |

@ चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्रीय अंश की जारी की गयी बकाया राशि ।

# “खाता” आधार पर जारी .

नोट: - वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए बकाया और एसडीआएफ की पहली किस्त, राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के पैरा 11 में यथाउल्लिखित [राज्य के महालेखाकार (एण्डई) द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) का गठन, वार्षिक रिपोर्ट और एसडीआरएफ का सृजन इत्यादि] अपेक्षित पुष्टिकरण एवं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की वजह से जारी नहीं की गई है ।

\*\*\*\*\*